(प्राप्त करने की तारिख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....

7– परियोजना/स्कीम का स्थान – जनपद-चमोली में प्र०मं० ग्रा० स० यो० के अन्तर्गत पोखनी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण, उत्तराखण्ड चमोली

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड

(2) जिला – चमोली

(3) वन प्रभाग – केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0) 14.70 है0

(5) वन की कानूनी स्थिति – उत्तम

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलगन की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. – 2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मी0 भी संलगन किये जायं	प्रस्ताव संलग्न
(8) (1)भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	प्रस्तावित क्षेत्र में भूक्षरण की सम्भावना नहीं है. भू वैज्ञानिक की आख्या संलग्न.
(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिर्जव, बाघ रिर्जव, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)	नहीं
(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।	नहीं
(11) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोइ्र अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8– प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	वनपंचायत व सिविल वन भूमि न्यूनतम है अभी मार्ग प्रस्तावित है. स्वीकृत के पश्चात निर्माण करवाया जायेगा.
9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	संलग्न
(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न
(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी,समय,अनुसूची, लागत,ढाचा आदि	संलग्न

96

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय – संलग्न

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) – प्रस्ताव के साथ प्रकलन संलग्न,

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ,एनेक्स 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें। संलग्न,

12– विभाग/जिलाप्रोफाइल :–

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र – 8030 वर्ग कि॰ मी॰

(2) जिले का वन क्षेत्र – 5061.002 वर्ग कि॰ मी॰

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र – 15 मामले 843.00 है॰

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – रिक्त.

(ख) वनेत्तर भूमि पर – रिक्त.

(5) 2013 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर – रिक्त.

(ख) वनेत्तर भूमि पर 843.00 है॰

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश ~~संस्तुति की जाती है~~

तिथि – 26.03.2015.

स्थान – गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
(नाम गोपेश्वर)

सरकारी मोहर